

# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी—श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-61/2019

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

- 01.हरुराम पुत्र प्रभुराम
- 02.उदाराम पुत्र प्रभुराम
- 03.छगनाराम उर्फ छोगाराम पुत्र प्रभुराम
- 04.तेजाराम पुत्र प्रभुराम  
जाति कुम्हार  
निवासी दूदवा  
तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
- 05.जोगाराम पुत्र प्रभुराम  
जाति कुम्हार  
निवासी चौकडियों की ढाणी(गोल सोडा)  
तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

- 01.धापुदेवी पत्नी देदाराम
- 02.रामाराम पुत्र देदाराम
- 03.देवाराम पुत्र देदाराम नाबालिग  
जरीये कुदरती वली माता धापुदेवी  
पत्नी देदाराम प्रतिवादी संख्या 01
- 04.अचलाराम पुत्र पताराम
- 05.मोटाराम पुत्र पताराम  
जाति जाट निवासी चौकडियों  
की ढाणी (गोल सोडा)  
तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
- 06.इमियादेवी पत्नी हीराराम  
जाति कुम्हार हाल निवासी  
चौकडियों की ढाणी  
(गोल सोडा) तहसील पचपदरा  
जिला बाडमेर
- 07.सुआदेवी पत्नी मोहनलाल जाति  
ढाढी मुसलमान निवासी  
पचपदरा
- 08.जमनादेवी पत्नी हरीश जाति  
ढाढी मुसलमान  
निवासी पचपदरा
- 09.सुआदेवी पत्नी लाखाराम जाति  
ढाढी मुसलमान निवासी खटटु  
हाल निवासी चौकडियों की  
ढाणी(गोल सोडा)  
तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
- 10.कबुदेवी पत्नी सगराराम  
जाति ढाढी मुसलमान निवासी  
खटटु हाल निवासी चौकडियों  
की ढाणी(गोलसोडा)तहसील  
पचपदरा जिला बाडमेर
- 11.राजस्थान सरकार जरीये  
तहसीलदार पचपदरा



10/05/19  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक: 28.3.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि सरहद मौजा चौकड़ियों की ढाणी पटवार क्षेत्र गोल सोढा तहसील पचपदरा में खेत खसरा संख्या 82 रकबा 322 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 05.3.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड वाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा चौकड़ियों की ढाणी पटवार क्षेत्र गोल सोढा तहसील पचपदरा में खेत खसरा संख्या 82 रकबा 322 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हेक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान	बरंग
1	उदाराम, छगनाराम उर्फ छोगाराम, तेजाराम पिसरान प्रभुराम हिस्सा 936/1648 जोगाराम पुत्र प्रभुराम हिस्सा 252/1648 हरुराम पुत्र प्रभुराम हिस्सा 460/1648 रहन हरुराम का हिस्सा RMGB बालोतरा	चोकड़ियों की ढाणी	82	82-08	बा.सोयम	4.94	गुलाबी
2	धापुदेवी पत्नी देदाराम रामाराम देवाराम पि. देदाराम हि. 2668/4992 अचलाराम पुत्र पताराम हि. 913/4992 मोटाराम पुत्र पताराम हिस्सा 693/4992 कौम जाट सा. देह इमियोदेवी पत्नि हिराराम हि. 220/4992 कौम कुम्हार सुआदेवी पत्नी मोहनलाल जमनादेवी पत्नी हरीश हि.	चोकड़ियों की ढाणी	82	249-12	बा.सोयम	14.98	हरा




*(Handwritten signature)*

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

166/4992 कौम ढाढी मुसलमान सा. पचपदरा सुआदेवी पत्नी लाखाराम हि. 222/4992 कबूदेवी पत्नि सागरराम हि. 110/4992 कौम ढाढी मुसलमान सा. खटटु रहन-अचलाराम मोटाराम का हि. S.B.I. शाखा पचपदरा धापुदेवी व सुआदेवी पत्नि लाखाराम का हि. C.B.I. शाखा बालोतरा के पक्ष में, कबुदेवी का हिस्सा 55/3320 O.B.C. शाखा बालोतरा के पक्ष में						
---	--	--	--	--	--	--


तहसीलदार, पचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पच्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28.3.2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा  
(S.D.O.) Balotra

